(भारत का राजपत्र, असाधारण के भाग-III, खंड- 4 में **प्रकाशित)**

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

जी. संख्या 127 **नई दिल्ली**, 28 अप्रैल, 2010

अधिसूचना

महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 (1963 का 38) की धारा 48,49 और 50 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतत्द्वारा, कोलकात्ता पत्तन न्यास के वर्तमान दरमान की वैधता को, संलग्न आदेशानुसार विस्तार प्रदान करता है।

(रानी जाधव)
अध्यक्ष

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

प्रकरण सं. टीएएमपी/45/2005-केओपीटी

आ दे श
(मार्च 2010 के 31 वें दिन पारित)

यह प्रकरण कोलकात्ता पत्तन न्यास (केओपीटी) के वर्तमान दरमान की वैधता के विस्तार से संबंधित है।

2. केओपीटी का वर्तमान दरमान इस प्राधिकरण द्वारा पिछली बार आदेश सं. टीएएमपी / 45 / 2005-पीपीटी दिनांक 29 दिसंबर 2006 के माध्यम से अनुमोदित किया गया था। आदेश में दरमान की वैधता 31 मार्च 2009 तक निर्धारित की थी।

3. केओपीटी के अनुरोध पर इस प्राधिकरण ने केओपीटी के वर्तमान दरमान की वैधता विस्तारित की थी। इस प्राधिकरण ने पिछली बार दिनांक 23 अक्तूबर 2009 के आदेश के माध्यम से केओपीटी के दरमान की वैधता 31 मार्च 2010 तक इस शर्त के अधीन बढ़ाई थी कि 1 अप्रैल 2009 के बाद ग्राह्य लागत और अनुमेय प्रतिलाभ से अधिक केओपीटी को प्रोद्भूत अधिशेष को अगले चक्र के लिए तय किये जाने वाले प्रशुल्कमें पूर्णरू पेण समायोजित किया जाएगा

4.. पत्तन ने 27 जनवरी 2010 को, संशोधन के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है जिसे प्रशुल्क प्रकरण के रू प में पंजीकृत किया गया है और परामर्श के लिए लिया गया है। चूंकि वर्तमान दरमान की वैधता 31 मार्च 2010 को समाप्त हो रही है और इसको अंतिम रू प दिए जाने से पहले इस प्रकरण की प्रक्रिया पर लगने वाले समय को देखते हुए, यह प्राधिकरण केओपीटी के वर्तमान दरमान की वैधता 30 सितंबर 2010 या संशोधित दरमान के क्रियान्वयन की प्रभावी तिथि, इनमें से जो भी पहले हो, तक विस्तारित करता है।

5. दिनांक 27 मार्च 2009 के आदेश में अनुबंधित शर्त कि 1 अप्रैल 2009 के बाद ग्राहय लागत और अनुमेय प्रतिलाभ से अधिक केओपीटी को प्रोद्भूत अधिशेष अगले चक्र के लिए तय किए जाने वाले प्रशुल्क में पूर्ण रू पेण समायोजित किया जाएगा, अपरिवर्तित रहेगी ।

(रानी जाधव)
अध्यक्ष